उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
संख्या- 10 /2020/जी-1-47 /दस-2020-207/98
लखनऊ दिनांक : 10 दिसम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4-ई.एम./90-का-4-2007, दिनांक : 06 जुलाई, 2007 से पुलिस विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वाहन चालकों से भिन्न, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों में कार्यरत वाहन चालकों को भी उनकी कठिन समस्याओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि जिसमें मंहगाई भत्ता सम्मिलित नहीं है, अनुमन्य कराये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सन्दर्भ में कतिपय विभागों की यह जिज्ञासा प्राप्त हुई है कि क्या उपर्युक्त सुविधा का भुगतान यदि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सका है तो आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4-ई.एम./90-का-4-2007, दिनांक : 06 जुलाई, 2007 के अन्तर्गत वाहन चालकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक माह के मूल वेतन के समतुल्य अनुमन्य होने वाली प्रतिपूर्ति की धनराशि यदि किसी कारण से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत भुगतान नहीं की जा सकी है तो उसे देय होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जा सकता है।

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-10/2020/जी-1-47/दस-2020-207/98 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पुष्पराज
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।